FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — **मुकाम अराई (अजमेर)**

- **आनन्द कंवर राठौड पत्नी दीपेन्द्र जाति राठौड जाति राजपूत निवासी ग्राम अरांई तहसील अराई जिला अजमेर राज0**

—प्रार्थीगण

बनाम

- **गोरधन पुत्र रिद्धकरण जाति गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर जयपुर राजस्थान अन्य।**

—अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा— धारा 111,128 भू0राज0अधि0 1956

नंबर 43/ **2024**

ऑनलाइन नंबर **2024** / ....

वकील प्रार्थी :— अशोक शर्मा

वकील अप्रार्थीगण..........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19/06/24	**यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री अशोक कुमार शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.06.2024 को पेश हो।** **उपखण्ड अधिकारी** **अरांई**	
21/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। तलबी ......हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते [illegible] हेतु दिनांक 1/7/24 को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** **अराई**	
	1/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/8/24 को पेश हो।	
23/8/24	पत्रावली पेश हुई आज [illegible] ....[illegible]........ की ओर से कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/9/24...को पेश हो।	

21/1/26. पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० नामील रिपोर्ट प्राप्त/ नामील रिपोर्ट प्राप्त/ वास्ते जवाब हेतु दिनांक 5/2/26 को पेश हो।

5/2/26. पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०/वादीगण तामील अनुपालन न। अतः प्रतिवादीगण 1 से 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वहस पुनः आदेश प्रकरण से तैयार कर शामिल पत्रावली है/ पत्रावली पैरवीनुसार हेतु [illegible] पेश हो।

न्यायालय श्रीमान, उपखण्ड अधिकारी महोदय, अराईं जिला अजमेर

राजस्व जस्व प्रकरण संख्या 43/2024

1. आनंद कंवर राठौड पत्नी दीपेन्द्र सिहं राठौड जाति राजपूत निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.
2. राजेन्द्र सिहं उर्फ राजू सिहं पुत्र गोविन्द सिहं जाति राजपूत निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.
3. सुमन कंवर पत्नी कुलदीप सिंहं जाति राजपूत निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.
4. कुलदीप सिंह खंगारोत पुत्र नाथू सिहं जाति राजपूत निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.
5. दीपेन्द्र सिह खंगारोत पुत्र नाथू सिहं जाति राजपूत निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोरधन पुत्र रिद्धकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
2. धन्ना पुत्र रिद्धकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
3. बद्री पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
4. लक्ष्मण पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
5. लाली पत्नी घीसा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
6. सायर पुत्री हरजी जाति गुर्जर निवासी रईस टेन्ट हाउस के पास, अजमेर जिला अजमेर राज.
7. घीसी देवी पुत्री हरजी जाति गुर्जर निवासी विनायक नगर, वार्ड नं. 15,16 मदनगंज–किशनगढ जिला अजमेर राज.
8. छीतर पुत्र रतना जाति जाट निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.
9. रामदयाल पुत्र रतना जाति जाट निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज0
10. रामप्यारी पत्नी शिवराज जाति जाट निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज
11. हरि सिंह पुत्र कल्याण जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
12. प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
13. प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा अराई जिला अजमेर राज.
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अराई जिला अजमेर राज.

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

वकील वादी अशोक शर्मा एडवोकेट

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री अशोक शर्मा द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राज0अधि0 1956 के तहत पेश किया गया। वकील वादी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 1633 पुराना खाता संख्या 472 खसरा संख्या 1030 रकबा 3.0823 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 473 पुराना 922 खसरा संख्या 1031 रकबा 0.0485 हैक्टेयर व 1032 रकबा 3.1066 हैक्टेयर ग्राम अराई पटवार हल्का अराई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि पर पद बदस्तुर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थीगण की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 7 की ग्राम अराई स्थित भूमि जिसकें खसरा नम्बर 1037 की कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 1032 के पश्चिम दिशा में है तथा अप्रार्थी संख्या 08 लगायत 10 की कृषि भूमि जिसके खसरा संख्या 1034 है जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि की पश्चिम दिशा में स्थित है एंव प्रार्थीगण की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में राज्य सरकार का रास्ता खसरा नं. 1042 है। खसरा नं. 1030 व 1032 के अडती हुई कृषि भूमि ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का मोतीपुरा खसरा नं. 72 है जो अप्रार्थी संख्या 11 की है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन उपरोक्त भूमि को लेकर सीमा विवाद चलता रहता है, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 11 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि में हस्ताक्षेप करते रहते है जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद का विषय बना रहता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 आये दिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उनकी कृषि भूमि की सीमाओं के संबंध में विवाद करते रहते है। उपरोक्त खसरा नम्बरान के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 आये दिन प्रार्थीगण के साथ उनकी खातेदारी भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 14 श्रीमान तहसीलदार महोदय अराई के कार्यालय में सीमाज्ञान कराने हेतु आवेदन जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय, अराई के आदेश कमांक/भू.अ./सीमाज्ञान/22/48 व कमांक/भू.अ./सीमाज्ञान/22/49 दिनांक 05.05.2022 की पालना में दिनांक 16.06.2022 को मौके पर पहुंचे तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 ने मौके पर नाप चौक होने के बावजूद भी सीमाओं को लांघ कर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप जारी रखा। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 स्पष्ट खातेदारी रेवेन्यू रिकार्ड व ट्रेस में दर्ज है इसलिए प्रार्थीगण को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 14 राजस्व रिकार्ड धारक है तथा राज्य सरकार का भू–अभिलेख प्रतिनिधि है एंव अप्रार्थी संख्या 12 व 13 के यहां अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 10 की कृषि आराजी रहन है इसलिए सीमा विवाद एंव पत्थरगढी करवाने हेतु आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या 1633 पुराना खाता संख्या 472 खसरा संख्या 1030 रकबा 3.0823 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 473 पुराना 922 खसरा संख्या 1031 रकबा 0.0485 हैक्टेयर व 1032 रकबा 3.1066 हैक्टेयर ग्राम अराई पटवार हल्का अराई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर सीमा ज्ञान करवाकर पत्थर गढी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करावें एंव अप्रार्थी संख्या 14 को निर्देशित किया जावे कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना त्वरित गति से करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दिनाक 19.06.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा नोटिश तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई। बावजुद तामिली के बार बार अवसर देने के बावजूद प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी का जवाब बन्द कर एकपक्षिय कार्यवाही की गई। दिनाक 04.02.2026 को बहस सुनी गयी।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गइ। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज0भू0राज0अधि0 स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम अराई पटवार हल्का अराई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराईं जिला अजमेर राजस्थान में स्थित भूमि खाता संख्या 1633 पुराना खाता संख्या 472 खसरा संख्या 1030 रकबा 3.0823 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 473 पुराना 922 खसरा संख्या 1031 रकबा 0.0485 हैक्टेयर व 1032 रकबा 3.1066 हैक्टेयर का राज0 रिकॉर्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/– रू पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फिस 1000/– रू जमा करवाने वे मौके पर उपस्थित होकर प्रार्थी के कब्जानुसार पक्षकारान की उपस्थिति में तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्तिधीन स्थिति को देखते हुए (एन.एच. में अवाप्तिधीन न हो)उक्त वाद ग्रस्त भुमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 4/2/26 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

अराई(अजमेर)